प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक 05 जुलाई, 2024**

विषय:-जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत शिव मन्दिर कस्बा गोला में कॉरीडोर की समेकित पर्यटन विकास हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि/भवन क्रय किये जाने हेतु अवशेष किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1286/6-1-1/(लखीमपुर खीरी)/2024-25 दिनांक 13.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मन्दिर कॉरीडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु अवशेष धनराशि निबन्धन शुल्क 01 प्रतिशत रू0 45,451.00 तथा प्रतिकर शुल्क 1.2 प्रतिशत रू0 545.00 अर्थात कुल रू0 45,996.00 (रूपये पैंतालीस हजार नौ सौ छियान्नवे मात्र) अवमुक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत शिव मन्दिर कस्बा गोला में कॉरीडोर की समेकित पर्यटन विकास हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि/भवन क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-110/2024/आई/518847/001-41-1002-002-6-2023-336-बजट-2023, दिनांक 13.03.2024 द्वारा धनराशि रू0 45,91,100.00 (रूपये पैंतालीस लाख इक्यानवे हजार एक सौ मात्र) (निंबधन शुल्क एवं प्रतिकर शुल्क सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 45,45,104.00 (रूपये पैंतालीस लाख पैंतालीस हजार एक सौ चार मात्र) व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के निवर्तन पर रखी गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु अवशेष धनराशि निबन्धन शुल्क 01 प्रतिशत रू0 45,451.00 तथा प्रतिकर शुल्क 1.2 प्रतिशत रू0 545.00 अर्थात कुल अवशेष धनराशि रू0 45,996.00 (रूपये पैंतालीस हजार नौ सौ छियान्नवे मात्र) को व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 13.03.2024 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है । J

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा। निदेशालय द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है । J

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45,996.00 (रूपये पैंतालीस हजार नौ सौ छियान्नवे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044500 विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
8. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0 लो0नि0वि0, खीरी।
10. उप निदेशक, पर्यटन, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है । J